



सीमाशुल्क आयुक्त का कार्यालय
OFFICE OF THE COMMISSIONER OF CUSTOMS
सीमाशुल्क गृह CUSTOM HOUSE , कोचिन COCHIN

Tel: 0484-2668068/2668390. PBX:0484-2666861 to 6864. Fax: 0484-2668468.

परिपत्र CIRCULAR. No. 79 / 2015

विषय : स्थाई व्यापार सुविधा समिति – दिनांक 21.12.2015 को आयोजित 119वीं बैठक का कार्यवृत्त-संबंधित।

Sub: Permanent Trade Facilitation Committee - Minutes of the 119th meeting held on 21.12.2015 – Reg.

स्थायी व्यापार सुविधा समिति की 119वीं बैठक दिनांक 21.12.2015 को 15:30 बजे सीमाशुल्क गृह, कोचिन के सम्मेलन कक्ष में सम्पन्न हुई। डॉ. के.एन. राघवन, सीमाशुल्क आयुक्त ने बैठक की अध्यक्षता की।

The 119th meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee was held at 1530 hrs on 21.12.2015 in the Conference Hall of Custom House, Cochin. Dr. K.N. Raghavan, Commissioner of Customs chaired the meeting.

बैठक में निम्नलिखित सीमाशुल्क अधिकारी उपस्थित थे: सर्वश्री/श्रीमती

The following officers of Customs were present. S/Shri/Smt

1. S. Anil Kumar, Addl. Commissioner
2. S. Srimathi, Dy. Commissioner
3. B. Umadevi, Asst. Commissioner
4. Sanjay Bangartale, Asst. Commissioner
5. Jimmi Joseph, Asst. Commissioner
6. Debashish Paul, Asst. Commissioner
7. Jathin K A, Asst. Commissioner
8. Prameela Rose, Asst. Commissioner
9. Bhuvanachandran, Scientist 'D', NIC
10. Gomathy G., Superintendent of Customs
11. C. T. Suja, Superintendent of Customs

व्यापार और व्यापार संबंधी अन्य सरकारी संगठनों के उपस्थित प्रतिनिधि: सर्वश्री:

The Trade and other Govt. Organizations related to trade were represented by S/Shri:

1. Raj Vinodh, Cochin Port Trust
2. D. Iyyanar, Plant Protection Officer, Plant Quarantine Station, Cochin
3. R. Sekar, Container Corporation of India Ltd

4. Dr. Jesto George, FSSAI, Cochin
5. Dipin, India Gateway Terminal Pvt. Ltd
6. Doles .P.E, FSSAI, Cochin
7. P. P. Rajendran, CFS, Falcon, Kalamassery
8. Veera Raghav, CFS, GDKL
9. Josemon, CFS, CICFS
10. Abraham Philip, President, Cochin Custom House Agents Association
11. M. B. Nadhakumar, Cochin Custom House Agents Association
12. Paul Abrao, Cochin Custom House Agents Association
13. Clinton Choweller , Cochin Steamer Agents Association
14. Prakash Iyer, Cochin Steamer Agents Association
15. Antony Kottaram, Kerala Chamber of Commerce & Industry
16. Deepak Shetty, Kerala Chamber of Commerce & Industry
17. Antony Kothary, Exim Forum
18. Viren K. Khona, All India Spice Expo Forum
19. A. K. Vijay, Federation of India Export Organization

आयुक्त महोदय ने सभी सदस्यों का बैठक में स्वागत किया। पिछली बैठक के कार्यवृत्त और उस पर की गई कार्रवाई पर विचार किया गया। इसके बाद नए बिंदु उठाए गए।

The Commissioner welcomed the members to the meeting. The minutes of the previous meeting and the action taken in respect of points thereon was taken for consideration after which fresh points were taken up.

पिछली बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई

Action on minutes of last meeting

1. निर्दिष्ट समय के बाद 300/-रु. का प्रभार लगाना

Charging Rs.300/- after cut off time

फीडर जहाजों के लिए निर्धारित समय के बाद स्टीमर एजेंटों द्वारा प्रति कंटेनर 300 रु. का अतिरिक्त प्रभार लगाने के मुद्दे पर श्री एब्रहाम फिलिप ने सूचित किया कि सी.एच.ए. इस राशि के भुगतान के लिए तैयार है। इसके अलावा उन्होंने अनुरोध किया कि जहाज के बर्थिंग में देरी होने की स्थिति में अतिरिक्त प्रभारों के भुगतान के बिना देरी के अनुरूप निर्दिष्ट समयावधि को बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए।

On the issue that the steamer agents were charging extra Rs. 300 per container after the cut off time for feeder vessel Shri. Abraham Philip informed that the CHAs are ready to pay the amount. Further he requested that in the event there is a delay in the berthing of the Vessel, an extension in the cut off time was to be granted corresponding to the delay without payment of extra charges.

2. आईसीटीपीएल में कारगो नष्ट करना

Destruction of cargo at IGTPL

इस मुद्दे पर श्री डिपिन ने सूचित किया कि 58 कोस्टल कंटेनर और 20 अन्य कंटेनर कारगो को नष्ट करने के लिए लंबित हैं। श्री प्रकाश ने आश्वासन दिया कि अगर आईसीटीटी सहयोग करता है, तो वे इस मामले में तेज़ी लाएंगे।

On the above issue Shri. Dipin informed that only 58 coastal containers and 20 other containers are pending for destruction of cargo. Shri. Prakash assured that if ICTT cooperates, they will speed up the issue.

इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने स्टीमर एजेंटों और आईसीटीटी को किसी एक मत पर पहुंचने और उनके निर्णय के बारे में विभाग को जल्द से जल्द अवगत कराने का निर्देश दिया और आश्वासन दिया कि तब विभाग मूल्यांकन और नष्ट करने के कार्य को जल्द से जल्द करेगा।

Then chair directed the steamer agents and ICTT to come to a consensus and inform their decision to the department at the earliest and assured that the department will then finish valuation and disposal at the earliest.

चर्चा के लिए उठाए गए नए मुद्दे

Fresh Points taken up for discussion.

बिंदु 1. इलैक्ट्रॉनिक डेलिवरी आदेश जारी करना

Point 1. Issuance of electronic delivery orders

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि वे स्टीमर एजेंटों को इलैक्ट्रॉनिक डेलिवरी आदेश जारी करने की प्रक्रिया लागू करना शुरू करने के संबंध में निर्देश दें।

Shri. Abraham Philip requested the chair to give necessary instructions to the Steamer Agents Association to start implementing the procedure of issuance of Electronic Delivery Order.

अध्यक्ष महोदय ने स्टीमर एजेंट्स असोसिएशन के सदस्यों से इस संबंध में पहल करने और 3-4 महीने की अंतिम समयसीमा निर्धारित करने का निर्देश दिया। उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि मेसर्स डीपी वर्ल्ड से चर्चा करें।

The chair directed to the members of steamer agents to initiate and keep a deadline for 3-4 months. They were also directed to discuss with M/s. DP World.

बिंदु 2. कोचिन अंतर्राष्ट्रीय सीएफएस (केएसआईई) में बैगेज निकासी

Point 2. Baggage clearance at Cochin International CFS (KSIE)

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय से अनुरोध किया कि सीआईसीएफएस को निजी सामान की सीमाशुल्क जांच करने की अनुमति प्रदान करें।

Shri. Abraham Philip requested the chair to give permission to CICFS to do the customs examination of personal effects.

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि ऐसा नहीं किया जा सकता क्योंकि इसके विरुद्ध बोर्ड के स्पष्ट निर्देश हैं।

The chair informed that the same could not be allowed as there is clear directions from the Board against the same.

बिंदु 3. चेकलिस्ट एवं फाइनल प्वाइंट में इनवॉइस मूल्य में अंतर

Point 3. Difference in the invoice value in checklist and final point

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कई सीएचए सदस्यों ने शिकायत की है कि चेक लिस्ट और सर्विस सेंटर में फाइल किए गए नौवहन बिल के अंतिम प्रिंट में इनवॉइस मूल्य में अंतर है और अध्यक्ष महोदय से इस मामले पर विचार करने का अनुरोध किया।

Shri. Abraham Philip informed the chair that many of the members of CHA had complained that there is difference in the invoice value in the check list and the final print of shipping bill filed at service centre and requested the chair to look into the matter.

अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि यह समस्या थोड़े समय के लिए ही थी इसका कारण था आईसीईजीएटीई में दशांशों की ट्रंकेशन। इसकी रिपोर्ट प्रणाली निदेशालय से की गई थी और इसे सही कर दिया गया है।

The chair replied that this was a temporary issue due to truncation of decimals in Icegate. It was reported to Systems Directorate and rectified.

बिंदु 4. निर्यात के लिए आरएमएस

Point 4. RMS for Exports

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कई सीएचए सदस्यों ने शिकायत की है कि निर्यात कंटेनरों के मामले में सीमाशुल्क/केंद्रीय उत्पादशुल्क की मुहर लगे हुए कंटेनरों को भी सीमाशुल्क जांच के लिए चुना जाता है और कार्यालय समय के बाद सभी सीएफएस बंद हो जाते हैं, जबकि सीमाशुल्क विभाग ने कुछ सीएफएस को कम से कम रात के 12 बजे तक खुले रहने की अनुमति दी है। सीमाशुल्क जांच में मदद करने के लिए कोई भी सीमाशुल्क अधिकारी और यहां तक कि कोई मजदूर भी उपलब्ध नहीं होते हैं।

Shri. Abraham Philip informed the chair that many of the members of CHA complained that for Export containers even Customs/Central Excise sealed containers are picked for Customs Examination, and no CFS is working after Office hours, even though Customs might have given permission to a selected CFS to remain open at least up to 12 midnight. No Customs Officials and even labourers are available to facilitate the Customs Examination

अध्यक्ष महोदय ने पूछा कि ऐसे कितने कंटेनरों को चुना गया है और सूचित किया कि इस प्रकार की कठिनाई, यदि कोई हो, तो सहायक आयुक्त (डोक्स) के ध्यान में लाई जाए। अध्यक्ष महोदय ने सदस्यों से कहा कि इस मामले को आगे से सहायक आयुक्त (डोक्स) के सामने उठाया जाए।

The chair enquired as to how many such containers were selected and informed that such difficulty, if any, should be brought to his notice or to the notice of AC (Docks). The Chair then asked the members to take up the matter with AC (Docks) in future.

बिंदु 5. नौवहन बिलों को डीजीएफटी साइट पर प्रेषित न किया जाना

Point 5. Shipping Bills not transmitted to DGFT site

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि एमईआईएस के तहत सभी दावों के लिए सीमाशुल्क विभाग कुछ तकनीकी कारणों से नौवहन बिलों को अपलोड नहीं कर पा रहा है और इस वजह से निर्यातक एमईआईएस प्रोत्साहनों का लाभ नहीं उठा पा रहे हैं।

Shri. Abraham Philip informed the chair that for all claims under MEIS, Customs is unable to upload the Shipping Bills due to some technical reason and due to this exporters are unable to avail the MEIS incentives.

अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि सिस्टम्स निदेशालय पुरस्कार मद को “एन” अंकित करते हुए सभी नौवहन बिलों को एमईआईएस के तहत दावों के साथ डीजीएफटी साइट पर अपलोड कर रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि अगर नौवहन बिलों में पुरस्कार योजना के सामने “वाई” अंकित किया गया है और अगर नौवहन बिल डीजीएफटी साइट पर नहीं दर्शाया गया है, तो निर्यातक/सीएचए नौवहन बिलों के “पुनःप्रेषण” के लिए संबंधित मूल्यनिरूपक अधिकारी से संपर्क कर सकता है।

The chair replied that Systems Directorate is uploading all the Shipping bills with reward item indicated as “N” with claims under MEIS to DGFT site. He also said that in cases where the entry made against Reward scheme as “Y” in SB and if that SB is not figuring in DGFT site, the Exporter / CHA may approach the concerned Appraising Officer for “retransmission” of the SB.

बिंदु 6. कुछेक कंटेनरों की छोटी शिपमेंट की स्थिति में नौवहन बिल का संशोधन

Point 6. Amendment of shipping bill when there is short shipment of a few containers.

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि उन्हें विभिन्न कंटेनरों की शिपिंग करते समय उस नौवहन बिल में कुछेक कंटेनरों की छोटी शिपमेंट की स्थिति में मूल नौवहन बिल में संशोधन करने में और शट आउट कंटेनरों के लिए नए सिरे से नौवहन बिल दायर करने में परेशानी होती है।

Shri. Abraham Philip informed the chair that they are facing problem in amending the original shipping with multiple containers being shipped, in the event of short shipment of a few containers in that Shipping Bill and filing of fresh Shipping Bill for the shut out containers..

अध्यक्ष महोदय ने कहा कि यह समस्या देश भर में हो रही है और इस मामले को सिस्टम्स निदेशालय के ध्यान में लाया गया है और वे इस पर काम कर रहे हैं।

The chair informed that this is a problem faced all over the county and that the matter is already taken up with the Directorate of Systems and they are working on it.

बिंदु 7. एसीपी ग्राहकों के लिए आयात कन्साइन्मेंटों की निकासी

Point 7. Clearance of import consignments for ACP clients

श्री एब्रहाम फिलिप ने अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि सीमाशुल्क व्यापार सुविधा के तहत वर्तमान में, एसीपी ग्राहकों के लिए आईजीएम में सीएफएस कोड खाली छोड़ा जाता है, अगर कन्साइन्मेंट जांच के लिए चुना जाता है, तो आईजीएम पर सीएफएस कोड दिखाना होता है और इसमें बहुत समय लगता है क्योंकि इसमें आईजीएम संशोधन की समान प्रक्रिया का अनुसरण किया जा रहा है। उन्होंने यह भी सूचित किया कि इससे एसीपी स्तर का उद्देश्य निष्प्रभावी हो जाता है, त्वरित निकासी प्रभावित होती है और समय एवं धन की दृष्टि से भी यह चिंता का विषय है।

Shri. Abraham Philip informed the chair that presently as per the Customs Trade Facility, the CFS code is left blank in the IGM for ACP clients, in case the consignment gets picked up for examination, then the CFS code has to be included in the IGM and this takes a lot of as the same procedure for IGM amendment is being

followed. He also informed that this defeats the very purpose of ACP status and speedy clearance and is a matter of concern in terms of time and money

अध्यक्ष महोदय ने सूचित किया कि सहायक आयुक्त (आई एवं बी) संशोधन की मंजूरी देते थे, लेकिन वर्तमान में सहायक आयुक्त (डोक्स) लिखित अनुरोध के आधार पर गमनागमन की मंजूरी देते हैं इसलिए आईजीएम संशोधन में समय नष्ट नहीं होता है।

The chair informed that the AC (I & B) was permitting amendment, but presently AC (Docks) is giving approval for movement based on written request so that no time is wasted on IGM amendment..

बिंदु 8. दस्तावेजों को फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर

Point 8. Digital signature for filing of documents

अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को सूचित किया कि बोर्ड के परिपत्र सं. 26/2016 दिनांक 23.10.2015 के तहत 01 जनवरी, 2016 से दस्तावेजों को फाइल करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर अनिवार्य कर दिया गया है।

The chair informed all the members that Digital Signature for filing of documents has been made mandatory with effect from 1st January 2016 vide Board's Circular No:26/2016 dated 23.10.2015.

बिंदु 9. पब्लिक डोमेन में आयात मूल्य उपलब्ध होना

Point 9. Availability of import value in public domain

श्री ऐंटनी कोट्टारम ने सूचित किया कि पब्लिक डोमेन में आयात मूल्य का विवरण उपलब्ध है, जो उनके व्यवसाय में प्रतिकूल प्रभाव डाल रहा है।

Shri. Antony Kottaram informed the chair that the details of import value are available in the public domain which is negatively affecting their trade.

अध्यक्ष महोदय ने माना कि पारदर्शिता की जरूरत को वाणिज्यिक गोपनीयता का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और सूचित किया कि इस मामले को मंत्रालय के साथ उठाया गया है तथा इस पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाएगी।

The chair agreed that need for transparency should not override commercial confidence and informed that the matter was already taken up with Ministry and there would be follow up.

बिंदु 10. कंटेनर संचालन बण्ड के मूल्य में वृद्धि

Point 10. Increase in value of container running bond.

स्टीमर एजेंटों से अध्यक्ष महोदय को सूचित किया कि कोचिन में कंटेनर संचालन बण्ड के मूल्य में वृद्धि की गई है जबकि तूतुकोरिन या चेन्नै में इसे बढ़ाया नहीं गया है।

The steamer agents informed the chair that the value of container running bond was increased in Cochin where as it was not increased in either Tutucorin or Chennai.

अध्यक्ष महोदय ने जवाब दिया कि कोचिन में नावाशेवा के तर्ज पर मूल्य में वृद्धि की गई थी और फिलहाल यथास्थिति बनाई रखी जाएगी।

The chair replied that the value was increased in Cochin based on Nhavasheva and for the present status co shall be maintained.

चर्चा के लिए किसी अन्य मुद्दों के नहीं उठाए जाने के कारण अध्यक्ष महोदय ने बैठक समाप्त होने की घोषणा की। अध्यक्ष महोदय के धन्यवाद ज्ञापन के साथ 1700 बजे बैठक संपन्न की गई।
Since no other points came up for discussion, the Chair declared the meeting closed. With a word of thanks from the Chair meeting ended at 1700 hrs.

स्थाई व्यापार सुविधा समिति समिति की अगली बैठक की तारीख सीमाशुल्क गृह के वेबसाइट www.cochincustoms.nic.in पर सूचित की जाएगी। चर्चा हेतु यदि कोई मुद्दा हो तो शीघ्र भेजें। किसी भी तरह की पूछताछ फोन नं.0484-2667040 या ई मेल ccu@cochincustoms.gov.in के माध्यम से की जा सकती है।

The date for next meeting of the Permanent Trade Facilitation Committee will be intimated through the Custom House website www.cochincustoms.nic.in. Points for discussion, if any, may be sent at the earliest. Enquiries if any may be made at the telephone number 0484-2667040 or by email at ccu@cochincustoms.gov.in

Sd/-

(डॉ. के.एन. राघवन Dr. K.N. RAGHAVAN)

आयुक्त COMMISSIONER

S.No. S 65/11/2015 – CCU Cus. Pt II

तारीख Dated: 18.01.2016

//अनुप्रमाणित Attested//

Sd/-

(गोमती जी. GOMATHY G.)

सीमाशुल्क अधीक्षक (सी.सी.यू.) Supdt. of Customs (CCU)

प्रस्तुत Submitted to:

Chief Commissioner of Customs, Kerala Zone, Cochin.

प्रतिलिपि प्रेषित Copy to :

Additional Commissioner

All D.Cs & A.Cs

All members